

फर्ड अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

शाही बाई

विपक्षी

कंड

मुकदमा

वाफ

पत्रावली संख्या

184/21

सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>22/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य रूकित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 18/9/25 को पेश हो। 8/0 2</p>	
<p>18/9/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>6/10/25</u> / नलक न. 2 के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अंत</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>10/11/25</u> को पेश हो। <u>m</u> (SDO) मावली</p>	
<p>10/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>6/10/25</u> / नलक न. 2 के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अंत</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>5/11/26</u> को पेश हो। <u>m</u> (SDO) मावली</p>	



05/01/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय
पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता मय
पक्षकारान को वार-वार आवाने दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके
हैं। स्वयं पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
वादीगण मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या। मय स्वयं प्रतिवादी संख्या
। अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाह
एवं प्रतिवादी संख्या। का प्रतिवाह अदम
डावरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल शुमार डोकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली